



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2000/अग्रहायण 3, 1922

No. 597]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2000/AGRAHAYANA 3, 1922

रेल अधिनियम

(रेल वोड़)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2000

साकानि. 893(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ परिवर्त धारा 60 की उपधारा (2) के खंड ।।। और धारा 200 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल व्यालित लाइन। साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (व्यालित लाइन) साधारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  
2. भारतीय रेल (व्यालित लाइन) साधारण नियम, 1976, के अध्याय V में नियम 5.18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“5.18. गाड़ी को अग्रिम स्थिति तक लाना :-

(1) प्रस्थान प्राधिकार की प्रतीक्षा करने वाली गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए अग्रिम प्रस्थान सिग्नल तक लाने की, उस स्थिति का छोड़कर जहाँ प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान रिंगनलों के बीच गाड़ी की अग्रिम स्थिति में उपस्थिति का संकेत देने के लिए ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर लगाए गए है, अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) का उपबंध, किसी स्टेशन सेक्षन के भीतर ही किसी गाड़ी की संटिंग की दशा में लागू नहीं होगा ।”

[सं. 99/सेफ्टी(ए एंड आर)19/9]

**टिप्पणी :**— मूल नियम तारीख 21 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या साकानि, 445/अ/ के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- (1) साकानि, 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983
- (2) साकानि, 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983
- (3) साकानि, 514 (अ), तारीख 27 जून, 1983
- (4) साकानि, 476 (अ), तारीख 28 जून, 1984
- (5) साकानि, 245, तारीख 23 मई, 1992
- (6) साकानि, 83, तारीख 17 फरवरी, 1996
- (7) साकानि, 101, तारीख 23 मई, 1998
- (8) साकानि, 47, तारीख 13 फरवरी, 1999
- (9) साकानि, 213 (अ), तारीख 18 मार्च, 1999
- (10) साकानि, 283 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999
- (11) साकानि, 581 (अ), तारीख 3, जुलाई, 2000
- (12) साकानि, 708 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000 और
- (13) साकानि, 852 (अ), तारीख 8 नवम्बर, 2000

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2000

**G.S.R. 893(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section(2) of section 60, read with section 198 and clause (a) of sub-section(2) of section 200, of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 2000.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter V, for rule 5.18, the following rule shall be substituted, namely :-

**"5.18. Drawing of a train to an advanced position - (1) A train waiting for an authority to proceed shall not be allowed to draw out upto an Advance Starter for despatch, except where track circuit or Axle Counter has been provided between the Starter and Advance Starter to indicate the presence of a train in advanced position.**

**(2) The provision of sub-rule (1) shall not apply in case of shunting of a train within a station section itself."**

[No. 99/Safety (A&R)/19/9]

SHANTI NARAIN, Member Traffic, and Ex-Officio Secy.

**Note :—** The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number GSR 445(E), dated the 21<sup>st</sup> July, 1981, and subsequently amended vide Notifications number :-

- (1) GSR 320, dated the 16<sup>th</sup> April, 1983,
- (2) GSR 352, dated the 30<sup>th</sup> April, 1983,
- (3) GSR 514(E), dated the 27<sup>th</sup> June, 1983,
- (4) GSR 476(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 1984,
- (5) GSR 245, dated the 23<sup>rd</sup> May, 1992,
- (6) GSR 83, dated the 17<sup>th</sup> February, 1996,
- (7) GSR 101, dated the 23<sup>rd</sup> May, 1998,
- (8) GSR 47, dated the 13<sup>th</sup> February, 1999,
- (9) GSR 213(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 1999,
- (10) GSR 283(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 1999,
- (11) GSR 581(E), dated the 3<sup>rd</sup> July, 2000,
- (12) GSR 708(E), dated the 6<sup>th</sup> September, 2000 and
- (13) GSR 852(E), dated the 8<sup>th</sup> November, 2000.

